न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 115 /2026 अनवान **अरबाब बनाम रसुल खां वगैरा**

दिनांक 9 .03.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी रामसर (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 142/2025 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 प्रार्थी–रसुल खां पुत्र जेतमाल उर्फ हसन जाति मुसलमान ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील रामसर स्थित ग्राम देवानियों का पार के खसरा नम्बर 03 रकबा 2.2096 है0 भूमि की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1–अरबाब पुत्र सैफल जाति मुसलमान ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट श्री वसीम अकरम एवं रेस्पो0सं0 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ग्राम पीरे का पार, तहसील रामसर के खसरा नम्बर 224/115 की भूमि के खातेदार काश्तकार है। रेस्पो0सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पडौसी खसरान की माठो पर सीमा चिन्ह नही होने से सीमा विवाद होना बताया गया। आलौच्य प्रकरण में अपीलांट को नोटिस प्राप्त नही होने से उसे सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कार्यवाही जल्दबाजी में करते हुए एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। प्रकरण में पैमाईश रिपोर्ट व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तक तलब नही की गई व आवेदन को आधार मानते हुए आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी एवं रेस्पो0 की भूमियां अलग–अलग ग्रामों में स्थित है। इस कारण दोनों ग्रामों के पटवारियों से मौका रिपोर्ट मंगवायी जाना आवश्यक है। अविवादित पैमाईश रिपोर्ट के अभाव में नेखमबंदी का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है। अत अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त फरमाने तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में विप्रार्थी सं0 09–तहसीलदार रामसर की रिपोर्ट व सीमांकन रिपोर्ट के बिना ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। वकील अपीलांट द्वारा प्रकट उक्त तथ्यों की पुष्टि अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से होती है। चूंकि अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1 हस्तगत अपील के माध्यम से उक्त प्रकरण में सुनवाई चाहता है तथा अपीलांट का कथन है कि अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1 की भूमि दो ग्रामों की सरहद पर स्थित है। इस स्थिति में दोनों ग्रामों के राजस्व कार्मिकों की संयुक्त टीम गठित कर मुस्तकिल बिन्दु से वादग्रस्त खसरान की पैमाईश/नेखमबंदी करवायी जाना आवश्यक है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 142/2025 बअनवान रसुल खां बनाम अरबाब वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2025 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसील रामसर स्थित ग्राम देवानियों का पार के वादग्रस्त खसरा नम्बर 03 की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर, दोनों ग्रामों के राजस्व कार्मिकों की सयुंक्त टीम द्वारा सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाने हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 9-3-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

9/3/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर